राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामेश्वर बनाम दाखा देवी 245/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/03/2026 को पेश हो।	
25/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 71 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 72 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 73 रकबा 0.03 है., खसरा नम्बर 74 रकबा 0.32 है., खसरा नम्बर 75 रकबा 0.64 है., खसरा नम्बर 76 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 77 रकबा 0.66 है., खसरा नम्बर 243 रकबा 0.56 है. कुल किता 08 कुल रकबा 2.57 है. भूमि वाके ग्राम टूमली का बास तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है। जिस पर सुगम आवागमन हेतु प्रार्थी/अपीलार्थी के स्वामित्व के खसरा नम्बर 160 रकबा 1.35 हैक्टेयर में से 20 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 11/05/2016 पारित करते हुये रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की समुचित सुनवाई कर तहसीलदार से प्राप्त रिकार्ड का समुचित अध्ययन/अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये रास्ता कायमी का आदेश प्रदान किय गया है, जिसमे हमे कोई त्रुटी प्रतीत नही होती है। कानूनन भी प्रत्येक काश्तकार को उनके खाते की आराजीयात पर उन्नत कृषि हेतु कृषि साधनों की पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु रिकार्डेड रास्ता प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से कायम किया गया रास्ता न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत होता है, ऐसेमें अपीलाधीन निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत नही होता है।	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामेश्वर बनाम दाखा देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11/05/2016 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है।	
	पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	निर्णय आज दिनांक 25/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	